कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः-2020 / **FP/UK/Others/29736/2017** दिनांकःदेहरादून 18 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः-जनपद-देहरादून के अन्तर्गत **Laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) (0.96 ha) FP/UK/Others/29736/2017**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-देहरादून के अन्तर्गत **Laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge(Total Length-32.00 KM) (0.96ha)** हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमित प्रदान करने का प्रस्ताव आनॅ लाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराताा एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गई है। जनपद देहरादून में चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 3G/4G जैसी नई तकनीकी सुविधाओं के लिए तथा दूर संचार की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना के कार्य किया जाना है। इसे भविष्य में 5 से 10 स्थाई तथा 10 से 20 अस्थाई रूप से लोगो को रोजगार मिलने की संम्भावना है। प्रश्नगत परियोजना का कार्य व्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित प्रयोजन हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल 1.00 हे0 से कम है तथा क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत नही आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नहीं है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सख्या 11-568/2014-एफ.सी. दिनांक 02-02-2015 के द्वारा भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन विछाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। **(संलग्नक-1)** मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24--04-2008 एवं आदेश दिनांक 09-05-2008 तथा तत्क्म में भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05-02-2009 **(संलग्नक-2)** के द्वारा कतिपय प्रयोजनों हेतु एन0पी0वी0 की देयता से छूट प्रदान की गई ही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद-देहरादून के अन्तर्गत **Laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge(Total Length-32.00 KM) (0.96 ha)** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/Others/29736/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
3. Telelinks Limited, E-237, 3rd floor, Industrial Area, Phase VIII-B, Mohali.(Chandigarh).

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी